पूर्व में घोषित काउंसिलिंग प्रक्रिया की कण्डिका 3 एवं 3 (xvi), कण्डिका 4, कण्डिका 5, में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

कण्डिका–3 में निम्नलिखित का समावेश किया गया है :–

अभ्यर्थी जिनको कंडिका–2 अनुसार प्रावधिक रूप से सीट आवंटित हुई है एवं जिन्हें पूर्व में (निरस्त की गई प्रथम चरण की काउंसिलिंग) स्क्रूटनी की प्रक्रिया के उपरान्त ऑनलाईन पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility certificate) जारी किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम की निर्धारित फीस ऑनलाईन जमा कर आवंटित संस्था में मूल दस्तावेज अथवा पूर्व में प्रवेशित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी किया गया मूल दस्तावेज जमा किये गये संबंधी प्रमाण पत्र के साथ स्वयं को आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा।

कण्डिका 3 (xvi)

में ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेड होते है के स्थान पर **ऐसे अभ्यर्थी जो लेफ्ट आउट राउण्ड की काउंसिलिंग में अपग्रेड होते है,** पढ़ा जावे।

कण्डिका 4 को विलोपित कर निम्नलिखित का समावेश किया जाता है :–

लेफ्ट आउट राउण्ड के आवंटन के पश्चात् आवंटित संस्था में अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी/निजी चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की पूर्ण वार्षिक फीस ऑनलाईन जमा करने के उपरान्त अपने अनिवार्य मूल दस्तावेज अथवा पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी किया गया मूल दस्तावेज जमा किये गये संबंधी प्रमाण पत्र एवं समायोजित फीस जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

कण्डिका 5 को विलोपित कर निम्नलिखित का समावेश किया जाता है :–

(1) निम्नलिखित अभ्यर्थी लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के लिये पात्र होंगे:–

क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में ऑप्ट–फार वेटिंग का ऑप्शन दिया है ।

ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों में च्वाईस फिलिंग नहीं की है।

घ) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउसिंलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं तथा उनके द्वारा willingness to upgrade का विकल्प चयनित किया गया है।

(2) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी <u>पात्र नहीं</u> होंगेः–

क) जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में सीट आवंटित की गई थी किन्तु आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया।

ख) जिन्होंने आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरान्त त्याग पत्र दिया गया है।

ग) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित है तथा उनके द्वारा willingness to upgrade का विकल्प चयनित नहीं किया गया है।